

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0

रा0प्र0क0 202507260300033/अ-62

प्रारूप - 'ग'
(नियम 3 (2) देखिए)

—: अनुज्ञा :—

प्रति,

- 1— कन्नीलाल आ0 दिनानाथ
सा0 उंचडिह प.ह.न.-03, रा0नि0मं0, बसदेई
तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर छ.ग.

विषय:— वृक्ष कटाई हेतु अनुज्ञा।

—00—

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 07/07/2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 09/07/2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 10/07/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु वृक्षों की संख्या 90 नग है।

संलग्न अभिलेख व स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि ग्राम उंचडिह, प.ह.न.-03, रा0नि0मं0 बसदेई, तहसील व जिला सूरजपुर छ0ग0 स्थित भूमि ख0नं0 142 रकबा 1.00 हे0 भूमि पर युकेलिप्टस प्रजाति के आवेदक के द्वारा स्वयं रोपित कुल 90 नग वृक्ष को कृषि/व्यवसाय हित में काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई हेतु अनुज्ञा दी जाती है।

छ0ग0 वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम 1989 (क 9 सन् 1989) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छ0ग0 परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किये जाने पर अनुज्ञा शून्य होगी।
यह अनुज्ञा जारी दिनांक से 07 दिवस तक ही मान्य होगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सूरजपुर

पृ0कमांक 125/ अ0वि0अ0 प्रवाचक/ 2025

प्रतिलिपि:—

सूरजपुर दिनांक 11/07/2025

- 1— कलेक्टर महोदय सूरजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
- 2— वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3— तहसीलदार सूरजपुर को सूचनार्थ।



अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सूरजपुर